निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**24 ज्येष्ठ 1943 (श0)**

**(सं0 पटना 516) पटना, सोमवार, 14 जून 2021**

ifjogu foHkkx

**अधिसूचना**

**14 जून 2021**

l0 06@CMT@HkkMk fu/kkfjr&02@2013&3236—मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा–67 की उप धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इस राज्य में परिचालित की जाने वाली ऑटो रिक्शा एवं टेम्पू (विक्रम) के लिये जो भाड़े से संबंधित अधिसूचना सं0–486 दिनांक–14.02.2013 द्वारा निर्धारित दर में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार निम्नांकित निर्धारित शर्तों के साथ ऑटो रिक्शा, टैम्पों (बिक्रम), मोटर कैब एवं मैक्सी कैब चार पहिया वाहन के भाड़े की दर नगरीये, उप नगरीये क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित करेंगे।

| क्र0 | गाड़ी का प्रकार | भाड़े की दर | vH;fDr |
|---|---|---|---|
| 1. | ऑटो रिक्सा (पेट्रोल चालित) | 1. मीटर ऑटो/ कॉन्ट्रैक्ट प्रथम दो कि0 मी0 तक के लिए रू0 18/– (अट्ठारह रू0) एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 रू0 9/– (नौ रू0)<br>2. शेयर्ड ऑटो (बैठान क्षमता 1/3) प्रथम दो कि0 मी0 के लिए रू0 4.80/– (चार रू0 अस्सी पैसा) प्रति व्यक्ति रू0 3/– (तीन रू0) | |
| 2. | ऑटो रिक्सा (डीजल चालित) | 1. मीटर ऑटो/ कॉन्ट्रैक्ट प्रथम दो कि0 मी0 तक के लिए रू0 14.40/– (चौदह रू0 चालीस पैसा) (बैठान क्षमता 1 + 3)<br>एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 रू0 7.20/– (सात रू0 बीस पैसा), प्रथम दो कि0 मी0 तक के लिए रू0 19.20/– (उन्नीस रू0 बीस पैसा) (बैठान क्षमता 1 + 4)<br>एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 रू0 9.60/– (नौ रू0 साठ पैसा)<br>2. शेयर्ड ऑटो (बैठान क्षमता 1 + 3 एवं 1 + 4) प्रथम दो कि0 मी0 के लिए रू0 4.80/– (चार रू0 अस्सी पैसा) प्रति व्यक्ति कि0 मी0<br>एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 के लिए प्रति व्यक्ति रू0 2.40/–(दो रू0 चालीस पैसा) | |

| क्र0 | गाड़ी का प्रकार | भाड़े की दर | vH;fDr |
|---|---|---|---|
| 3. | टेम्पू/विक्रम | टेम्पू/बिक्रम (बैठान क्षमता 1 + 6) प्रथम दो कि0 मी0 तक 3/– (तीन रू0) प्रति व्यक्ति<br>एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 के लिए रू0 1.50/– (एक रू0 पचास पैसे) प्रति व्यक्ति | |
| 4. | टाटा मैजिक/ समरूप चार पहिया वाहन (मोटर कैब/ मैक्सी कैब) | मैजिक/समरूप चार पहिया वाहन (बैठान क्षमता 1 + 7) प्रथम दो कि0 मी0 तक 3 रू0 (तीन रू0) प्रति व्यक्ति<br>एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 के लिए रू0 1.50/– (एक रू0 पचास पैसे) प्रति व्यक्ति | |
| 5. | CNG ऑटो | 1. मीटर ऑटो/ कॉन्ट्रैक्ट प्रथम दो कि0 मी0 तक के लिए रू0 15/– (पन्द्रह रू0)<br>एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 रू0 7.50/– (सात रू0 पचास पैसे)<br>2. शेयर्ड ऑटो (बैठान क्षमता 1 + 3) प्रथम दो कि0 मी0 के लिए रू0 4/– (चार रू0)<br>प्रति व्यक्ति प्रति कि0 मी0 एवं अनुवर्ती प्रति कि0 मी0 के लिए प्रति व्यक्ति रू0 2.50/– (दो रू0 पचास पैसे) | |

**सामान्य शर्तें जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगा :–**

(i) गाड़ियाँ सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर लगायी जायेगी ।

(ii) प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप में प्रदर्शित करेंगे ।

(iii) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा Point to Point भाड़ा निर्धारण के क्रम में रूपये के पूर्णांक में भाड़ा का निर्धारण किया जायेगा, यथा यदि तकनिकी रूप से भाड़ा 2.50 रू0 निर्धारित होती है तो उसे 3.00 रू0 निर्धारित किया जायेगा या यदि 2.25 रू0 निर्धारित होती है तो उसे 2.00 रू0 निर्धारित किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक गाड़ी के पास एक शिकायत पंजी रहेगी ।

(v) निर्धारित भाड़े की दर से कोई अधिक भाड़ा वसूल नहीं करेगा ।

(vi) इस भाड़े का निर्धारित निबंधित बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटरवाहन अधिनियम में विहित प्रावधान के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

(vii) उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया का निर्धारण सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत लागू किया जाय साथ ही इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत मानी जाएगी।

vkns'k ls]
¼gE½ vLi"V]
lfpoA

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 516-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in